तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 96/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/184) बअनवान बनवारीलाल बनाम लक्ष्मणकुमार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर. ए. एस.)

बनवारीलाल

बनाम

लक्ष्मणकुमार इत्यादि

उपस्थित

1. श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 19

आदेश

दिनांक 19.02.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2024 अनवान बनवारी लाल बनाम लक्ष्मण कुमार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 मई 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 27 मई 2024 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी विवादित भूमि खसरा नं. 212 रकबा 1.6835 हैक्टेयर, खसरा नं. 162 रकबा 3.9659 हैक्टेयर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेस्पोडेंट्स की ओर से विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 96/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/184) बअनवान बनवारीलाल बनाम लक्ष्मणकुमार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विचाराधीन है। प्रत्यर्थीगण स्वयं द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया . गया है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। रेस्पोडेंट संख्या एक के पिता पिछले 50 वर्ष से राजनीति में सक्रिय है तथा अपने राजनैतिक प्रभाव से रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में अविभाजित भूमि पर बिना किस्म परिवर्तन करवाये कॉलोनी काटने का प्रयास कर रहे है तथा मौके पर ग्रेवल सड़क बनाई जा चुकी है। वादग्रस्त भूमि सहायक कलक्टर कार्यालय से मात्र 50 फीट की दूरी पर ही है, जिससे विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी वादग्रस्त आराजी की मौके की स्थिति में वाकिफ है, फिर भी उनके द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड सहखातेदार होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाकर रेस्पोडेंट को मूल वाद के विचाराधीन रहते अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 मई 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में चाहा गया वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट मात्र 5-5 बिस्वा का सहखातेदार है। उसके द्वारा विचारण न्यायालय में धारा 188 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। कानूनन धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 96/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/184) बअनवान बनवारीलाल बनाम लक्ष्मणकुमार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तहत रेकर्डेड खातेदारों के मध्य स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जाता है, न कि सहखातेदारान् के मध्य। अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात में अपने नाम दर्ज 10 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा न करवाकर अपने नाम दर्ज उक्त भूमि की आड़ में रेस्पोडेंट्स पर दबाव बनाकर स्थगन की आड़ में अवैध वसूली करने का प्रयास कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 162 रकबा 3.9659 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 212 रकबा 1.6835 हैक्टेयर में क्रमशः 2500/213443 तथा 1/36 वे हिस्से यानि 10 बिस्वा का सहखातेदार दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में उभय पक्ष की सहखातेदारी की अविभाजित भूमि दर्ज है। उपलब्ध अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारान् के मध्य वाद लाया जा सकता है न कि सहखातेदारान् के विरुद्ध। कानूनन सहखातेदारान् के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अपने नाम दर्ज 10 बिस्वा भूमि की आड़ में संपूर्ण हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जो कानूनन न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 96/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/184) बअनवान बनवारीलाल बनाम लक्ष्मणकुमार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के बिंदु अपीलांट के पक्ष मे नहीं पाये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओ पर अपना विस्तृत मत रखते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 मई 2024 यथातव रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर